न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : — अंशुल आमेरिया (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : — 139/2022

उनवान

सत्यनारायण बनाम रमेशचन्द

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

दिनांक :— 11.10.23

—: आदेश :—

अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा ग्राम फारकिया के खसरा नम्बर 1023 रकबा 0.08 है0 में सिथत भूमि के सन्दर्भ में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 फर्जी व कूटरचित इरानामें के आधार पर प्रस्तुत किया है। जबकि विधि के सुस्थापित सिद्वान्त के अनुसार इकरारनामें के आधार पर वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही है। वादी का वाद प्रथम दृष्टया ही विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्तर पर निरस्त योग्य है। आराजी मुतनाजा के खातेदार हरकण पुत्र गोरधन का स्वर्गवास हसे गया है। वादी द्वारा समस्त वारिसों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। अतः वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही कर निवेदन किया कि प्रकरण में अन्य वारिसों को पक्षकार बाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया है आराजी मुतनाजा पर वादी का कब्जा काश्त है प्रतिवादीगण का कोई हक नही होने के कारण व आराजी मुतनाजा कृषि भूमि होने के कारण स्थायी निषेघाज्ञा का वाद हाजा न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थना पत्र निराधार होने के कारण सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया। वादी द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955 के तहत पेश किया है। आराजी मुतनाजा में वादी व प्रतिवादी 1 व 2 के पिता तथा अन्य व्यक्ति सह खातेदार है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता हरकरण का हिस्सा जरियें इकरारनामा उसके द्वारा क्रय कर लिया है। वादी उक्त आराजी पर मकान की सुरक्षा हेतु दीवार का निर्माण कार्य कर रहा है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाधा उत्पन्न कर रहे है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद करने हेतु वादी ने उक्त वाद पेश किया है। राज[illegible] आ[illegible]ख में उक्त आराजी अविभाजित है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का भी [illegible] हक व अधिकार निहित है।

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:37:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता हरकरण द्वारा अपना हिस्सा वादी को जरियें इकरारनामा विक्रय कर दिया। किन्तु इकरारनामें के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से की आराजी का विक्रय राजस्व न्यायालय द्वारा नही माना जा सकता है। एवं विधि का सुस्थापित सिंद्वात है कि राजस्व न्यायालय को अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर निर्णय करने का क्षेत्राधिकार नही है। सम्पति अतंरण अधिनियम के प्रावधान अनुसार भी 100 रूपये से अधिक भूमि के हस्तांतरण का बैचाननामा पंजीकृत होना आवश्यक है। अपंजीकृत दस्तावेज राजस्व न्यायालय में साक्ष्य हेतु ग्राहय नही है। वादी का कथन है कि उसके द्वारा उक्त वाद में मात्र स्थायी निषेघाज्ञा का अनुतोष चाहा है किन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त धारा में वाद लाने पर वादी को यह सुस्थापित करना पडेगा कि वह आराजी मुतनाजा का रिकार्डेड एकल खातेदार है। प्रस्तुत वाद में वादी आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व अभिलेख अथवा पूर्व राजस्व अभिलेख में एकल खातेदार नही है, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भी उक्त आराजी में सह खातेदार निहित है। उसके द्वारा ना तो खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती का अनुतोष चाहा है ना ही इकरारनामें के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकार अथवा इन्द्राज दुरूस्ती की जा सकती है। राजस्व न्यायालय को अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर लाये गये किसी भी वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है। पक्षकार के मध्य सिविल न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सहखातेदार होने से अविभाजित आराजी पर उनके विरूद्व स्थायी निषेघाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः वाद विधि वर्जित होने से आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रावधानो से बाधित है एवं प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नही है।

उक्तानुसार प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी का वाद खारिज किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:37:09 IST
Reason: SelfAttested